

अविश्वसनीय दस्तावेज आपूर्ति के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर चिंटबरम से जवाब तलब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर कांग्रेस नेता पी. चिंदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिंदंबरम और अन्य आरोपियों से शुक्रवार को जवाब तलब किया। निचली अदालत ने सीबीआई को इन आरोपियों को गैर-भरोसेमंद दस्तावेजों की आपूर्ति करने का सीबीआई को आदेश दिया था, जिसे एजेंसी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर चिंदंबरम और अन्य को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि संबंधित मामला 18 जनवरी को निचली अदालत के समक्ष सूचीबद्ध है, इसके बाद अदालत ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 11 जनवरी, 2024 की तारीख की। सीबीआई ने अपनी याचिका में दलील दी है कि एजेंसी को आरोपियों को सभी गैर-भरोसेमंद दस्तावेज मुहैया कराने का निचली अदालत का निर्देश गलत है। जांच एजेंसियां अभियोजन के उद्देश्य से जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों पर भरोसा नहीं कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेजों को भरोसेमंद और गैर-भरोसेमंद श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। भरोसेमंद दस्तावेज से अभियोजन पक्ष को फायदा हो सकता है, जबकि गैर-भरोसेमंद दस्तावेजों से बचाव पक्ष को मदद मिल सकती है। बचाव पक्ष आमतौर पर उन सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहेगा, जिन पर जांच एजेंसी ने भरोसा नहीं किया है। एजेंसी ने पांच मार्च, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी कि निचली अदालत ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटी की है कि सीबीआई आरोपियों को सभी गैर-भरोसेमंद दस्तावेज मुहैया कराने के लिए बाध्य है सीबीआई ने कहा कि उसे आशंका है कि सभी गैर-भरोसेमंद दस्तावेज उपलब्ध कराने के व्यापक निर्देश से आगे की जांच में बाधा आएगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपी को केवल उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने के लिए बाध्य है, जिन पर वह भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, या जो जांच के दौरान पहले ही मजिस्ट्रेट को भेजे जा चुके हैं। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। यह मंजूरी 2006 में दी गई थी, जब पी चिंदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री थे।

**अदालत ने एमएटी आदेश को रद्द किया
मराठा उम्मीदवारों पर ईडब्ल्यूएस के
तहत आवेदन पर थी रोक**

मुझे। बवाई उच्च न्यायालय न शुक्रवार का महाराष्ट्र प्रशसनक न्यायाधिकरण (एमएटी) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि मराठा समुदाय के उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडल्ल्यूएस) श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते न्यायमूर्ति नितिन एम. जामदार और न्यायमूर्ति मंजूशा ए. देशपांडे को खंडपीठ ने मराठा समुदाय के उम्मीदवारों को राहत देते हुए कहा कि न्यायाधिकरण स्थापित कानूनी सिद्धांतों से भटक गया जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा। अदालत 100 से अधिक उम्मीदवारों और राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एमएटी द्वारा फरवरी 2023 में जारी आदेश को चुनावी दी गई थी। एमएटी ने अपने आदेश में कहा था कि मराठा समुदाय के उम्मीदवार 2019 में विज्ञापित उप-नियोक्तक 1 कर सहायक और कलर्क-टाइपिस्ट, वन विभाग और इंजीनियरिंग सेवाओं के पदों के लिए आवेदन करते समय ईडल्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम लागू किया था जिसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया शोरी अदालत के फैसले के बाद सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया गया, जिसमें 2019 के विज्ञापित पदों के लिए एसईबीसी श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ईडल्ल्यूएस के तहत आवेदन करने की अनुमति दी गई।

महायाष्ट्र के पूर्व मंत्रो व पांच अन्य को पांच साल केट की सजा

नागपुर महाराष्ट्र (१) नागपुर का एक अदालत ने कांग्रेस विधायक एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुनील केदार और पांच अन्य लोगों को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) की निधि के दुरुपयोग के मामले में शुक्रवार को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे वी पेखले-पुरकर ने 2002 के मामले में यह फैसला सुनाया। मामले के सभी छह दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है इस मामले के आरोपियों में केदार के अलावा एनडीसीसीबी के महाप्रबंधक एवं

पेज एक का थोष

एकजुट विपक्ष...

राहुल गांधी को 6-8 सीटों की अपनी मांग से अवगत कराया है। वर्ही टीएमसी नेतृत्व पीसीसी की मांग पर चुप्पी साधे हुए है, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि कांग्रेस को 2-3 से अधिक सीटें देने का कोई इरादा नहीं है। नेता ने सुझाव दिया कि मौजूदा माहौल को देखते हुए कांग्रेस को पिछली बार टीएमसी के समर्थन के बिना जीती गई दो सीटों को भी बकरकर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

दंडिया वादवंधन

एनसीपी नेता शरद पवार, सीपीआई-एम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, जेएमएम के महुआ माजी, डीएमके के तिरुचि शिवा, राजद के मनोज कुमार झा, टीएमसी के मौसम नूर, एनसी के हसनैन मसूदी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन और ऐसपी के एसटी हसन उपस्थित नेताओं में से थे। राष्ट्रीय राजधानी में सभा को संबोधित करते हुए, खड़गे ने कहा कि इंडियन गठबंधन के नेता एक साथ आए हैं क्योंकि भाजपा सरकार के तहत लोकांत्र खतरे में हैं। उन्होंने कहा, ‘जब सभी एकजुट हो जाएंगे, तो नंदें मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे...’ जितना अधिक आप हमें कुचलने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ऊपर उठेंगे। हम देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले पर गृह हैं क्योंकि उन्हें उनके श्री नर्हीं मिल रहा हैं... दलित को लेनी होगी, हम कड़ी संविधान पर हमला कर हराएंगे। मार्क्सवादी कांगड़ा सीताराम येचुरी ने कहा जवाबदेह है। उन्होंने कांगड़ा के लोगों को संप्रभुता प्रतिनिधियों के माध्यम सरकार संसद के प्रति लोगों के प्रति जवाबदेह सारांश है। उन्होंने कहा कि ‘काल’ की बात कर रही हाथों में चला गया है, ‘अमृत मंथन’ की कहानी और अंग्रेस संसद मौसम नहीं बनाने का आह्वान किया

ਪੇਜ ਏਕ ਕਾ ਥੋਥ

एकजट विपक्ष...

राहुल गांधी को 6-8 सीटों की अपनी मांग से अवगत कराया है। वहीं टीएमसी नेतृत्व पीसीसी की मांग पर चुप्पी साथे हुए है, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि कांग्रेस को 2-3 से अधिक सीटें देने का कोई इरादा नहीं है। नेता ने सुझाव दिया कि मौजूदा माहौल को देखते हुए कांग्रेस को पिछली बार टीएमसी के समर्थन के बिना जीती गई दो सीटों को भी बरकरार रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

दंडिया वादवंधन

एनसीपी नेता शरद पवार, सीपीआई-एम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, जेएमएम के महुआ माजी, डीएमके के तिरुचि शिवा, राजद के मनोज कुमार झा, टीएमसी के मौसम नूर, एनसी के हसनैन मसूदी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन और ऐसपी के एसटी हसन उपस्थित नेताओं में से थे। राष्ट्रीय राजधानी में सभा को संबोधित करते हुए, खड़गे ने कहा कि इंडियन गठबंधन के नेता एक साथ आए हैं क्योंकि भाजपा सरकार के तहत लोकांत्र खतरे में हैं। उन्होंने कहा, ‘जब सभी एकजुट हो जाएंगे, तो नंदें मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे...’ जितना अधिक आप हमें कुचलने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ऊपर उठेंगे। हम देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले पर गृह हैं क्योंकि उन्हें उनके श्री नर्हीं मिल रहा हैं... दलित लेनी होगी, हम कड़ी संविधान पर हमला कर हराएंगे। मार्क्सवादी कांगड़ा सीताराम येचुरी ने कहा जवाबदेह है। उन्होंने कांगड़ा के लोगों को संप्रभुता प्रतिनिधियों के माध्यम सरकार संसद के प्रति लोगों के प्रति जवाबदेह सारांश है। उन्होंने कहा कि ‘काल’ की बात कर रही हाथों में चला गया है, ‘अमृत मंथन’ की कहानी और अंग्रेस संसद मौसम नहीं बनाने का आह्वान किया

वकीलों और वादकारियों के अदालतों में आर्स लेकर चलने पर लगाई रोक

जिला जजों और न्यायिक
अधिकारियों को मुकदमा दर्ज
कराने का निर्देश, कोर्ट ने
कहा, कहा- बंदूक लेकर चलना
मौलिक अधिकार नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर उत्तर प्रदेश के किसी भी अदालत परिसर में वकीलों एवं वादकारियों को अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है। यही नहीं हाईकोर्ट ने जिला जजों और न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय परिसर में बंदूक लेकर वकीलों अथवा वादकारियों के पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वकीलों अथवा वादकारियों द्वारा आर्म्स लेकर परिसर में चलना आर्म्स एकट की धारा 17, 3द्व, 3ब्ड के अंतर्गत लोक शास्ति और लोक सुरक्षा को भंग करती है। न्यायालय ने कहा है कि बंदूक



लेकर चलना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा है कि कोर्ट परिसर के अंदर वकील अथवा वादकारी कोई भी व्यक्ति अदालत परिसर में हथियार नहीं रख सकता है। हाईकोर्ट ने वकीलों व वादकारियों को अदालत परिसर के अंदर स्थित बार एसोसिएशनों वकील कैटीन आदि किसी भी जगह पर आपसे लेकर चलने को प्रतिवाधित कर दिया है। कोर्ट ने बताया है कि यह अधिकार सिर्फ सुरक्षाकर्मियों को है। हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन करने के लिए वकीलों के बीच इस आदेश की जानकारी देने के लिए हाईकोर्ट व रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है विवर वह इस आदेश को प्रदेश के सभी ज्युडिशियल ऑफिसर्स सचिव गृह उत्तर प्रदेश बार कार्डिसल आफईडियर युवी बार कार्डिसल को सूचित करेंगे यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया द्वारा एक युवा अधिवक्ता अमनदीप कुमार याचिका पर पारित किया है। युवा अधिवक्ता का वर्ष 2018 में युवी बार कार्डिसल में एनरोलमेंट हुआ है। इस अधिवक्ता पर आरोप था कि वह कोई परिसर में आपसे लेकर घूमते पाए गए थे और इस कारण उनके खिलाफ

आईपीसी की धारा 188 तथा आयुध अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्राथमिकी की दर्ज कराई गई। लाइसेंसिंग अर्थारिटी ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि जब भी सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो तो सश्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 ;द्वारा; बीदू के तहत लाइसेंसिंग प्राथमिकारी के लिए लाइसेंस रद्द करना या निलंबित करना अनिवार्य है। न्यायालय ने माना है कि वकीलों और वादियों को अदालत परिसर के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अदालत परिसर में सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा होगा और न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। न्यायालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को न्यायालय परिसर के अंदर हथियार ले जाते हुए पाए जाने पर उसका शास्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

की हो तो उसे हटाये जाने के कारण जानने का अधिकार है। कोर्ट ने बिना कारण बताओ नोटिस दिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सेवा समाप्ति प्रस्ताव व सीएमओ वाराणसी द्वारा संविदा नियुक्ति समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है और याची की सेवा बहाल कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याची को तीन हफ्ते में कारण बताओ नोटिस दी जाय उसके एक हफ्ते में याची जवाब दाखिल करें और कमेटी विचार कर उसके दो हफ्ते में गाइडलाइंस और नीतियों के अनुसार नियंत्रण ले। यह आदेश न्यायमूर्ति अधिकारी कुमार ने संसीटी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ऋषेश श्रीवास्तव विवेक कुमार पाल और स्वेता सिंह ने बहस की। इनका कहना था कि 21 जुलाई 22 को याची का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशी विद्यापीठ वाराणसी से याची का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरहुआ वाराणसी पर तबादला किया गया। उसने केवल 11 नवंबर 22 को रिपोर्ट किया। उसे दिसंबर के वेतन का भुगतान भी किया गया। इसके बाद बिना अनुमति लिए छुट्टी पर चली गई। तीन फरवरी 23 को बीमारी की छुट्टी का पत्र देने केंद्र आई कितृ ड्यूटी नहीं किया। इलाज कराने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। गैर हाजिर हरने पर जिलाधिकारी वाराणसी की अध्यक्षता में कमेटी ने 11 मार्च 23 को याची की संविदा सेवा समाप्ति का प्रस्ताव किया। जिसके अनुपालन में सीएमओ ने 14 मार्च 23 को सेवा समाप्ति आदेश जारी किया। दोनों आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई। कहा गया कि आदेश जारी करने में नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया।

न्यूजविलक मामला: अदालत ने जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 60 और दिन का समय दिया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने समाचार पोर्टल

संविदा सेवा समाप्ति से पहले कारण बताओ नोटिस जरूरी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यद्यपि संविदा सेवा में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता। किंतु सेवा समाप्ति के मामले में कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण देने का अवसर दिये जाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा जब कर्मी ने छह साल लगातार संविदा सेवा की हो तो उसे हटाये जाने के कारण जानने का अधिकार है। कोर्ट ने बिना कारण बताओ नोटिस दिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सेवा समाप्ति प्रस्ताव व सीएमओ वाराणसी द्वारा संविदा नियुक्ति समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है और याची की सेवा बहाल कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याची की तीन हफ्ते में कारण बताओ नोटिस दी जाय उसके एक हफ्ते में याची जवाब दाखिल करें और कमेटी विचार कर उसके दो हफ्ते में गाइडलाइंस और नीतियों के अनुसार निर्णय ले। यह अदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने संगीता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ऋषेश श्रीवास्तव विवेक कुमार पाल और स्वेता सिंह ने बहस की। इनका कहना था कि 21 जुलाई 22 को याची का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशी विद्यापीठ वाराणसी से याची का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरहुआ वाराणसी तबादला किया गया। उसने केवल 11 नवंबर 22 को रिपोर्ट किया। उसे दिसंबर के वेतन का भुगतान भी किया गया। इसके बाद बिना अनुमति लिए छुट्टी पर चली गई। तीन फरवरी 23 को बीमारी की छुट्टी का पत्र देने केंद्र आई किंतु छुट्टी नहीं किया। इलाज कराने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। गैर हाजिर रहने पर जिलाधिकारी वाराणसी की अध्यक्षता में कमेटी ने 11 मार्च 23 को याची की संविदा सेवा समाप्ति का प्रस्ताव किया। जिसके अनुपालन में सीएमओ ने 14 मार्च 23 को सेवा समाप्ति आदेश जारी किया। दोनों आदेश की वैधता को चुनौती दी गई। कहा गया कि आदेश जारी करने में नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया।

न्यूज़विलक मामला: अदालत ने जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 60 और दिन का समय दिया

नई दिल्ला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ला का एक अदालत न समाचार पोर्टल न्यूज़बिल्क के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को 60 और दिन का समय दिया है। न्यूज़बिल्क पर भारत में चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए धन लेने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने समाचार पोर्टल के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायरथ एवं पोर्टल के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिस्सत भी 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। अदालत ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर दिया, जिसमें जांच पूरी करने के लिए और समय दिए जाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में अनुरोध किया गया था कि सख्त गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) कानून (यूएपीए) जैसे विशेष कानूनों के तहत जांच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी के दिन से 180 दिन का अधिकतम अनुमेय समय दिया जाए। कानून के मुताबिक, अगर कोई जांच एजेंसी निर्धारित समय में अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती है तो हिस्सत में लिए गए आरोपी को जमानत का वैधानिक अधिकार मिल जाता है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में दस्तावेज़ और अन्य सबूत बड़े पैमाने पर हैं और एजेंसी को जांच के तहत दिल्ली के बाहर कई स्थानों की यात्रा करनी होगी, समय लगने की संभावना है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पुरकायरथ और चक्रवर्ती को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए न्यूज़ पोर्टल को चीन से बड़ी रकम मिली थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पुरकायरथ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फार डेमोक्रेसी एंड सेक्युरिटीज़ (पीएडीएस) नामक एक समूह के साथ साजिश रची। पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में नामजद संदिग्धों और आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान सामने आए नामों को लेकर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य गज़ों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे। पुलिस ने न्यूज़बिल्क के कार्यालयों और विभिन्न पत्रकारों के आवासों से करीब 300 इलेक्ट्रॉनिक गैरेंटी भी जब्त किए थे।

मुंबई कोविड केंद्र घोटाला मामला: ईडी ने 12 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की

भाषा। नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धन शोधन की जांच के सिलसिले में शिवसेना (उद्घव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय गाउत के कथित सहयोगी सुजीत पाटकर समेत कई लोगों की 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्की की है। संघीय एजेंसी की जांच मुंबई में बृहस्पुर्वी महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा संचालित कोविड धाखाखड़ा से सबद्ध ह। इडा न एक व्यापार में कहा कि लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के साझेदार सुजीत पाटकर, डॉ. हेमंत गुप्ता, राजीव सातुर्खें, संजय शाह और उनके साथी सुनील कदम उर्फ बाला कदम के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मुंबई में तीन फ्लैट, म्यूच्युल फंड और बैंक में जमा राशि अस्थाई रूप से कुर्की की गई ह। 12.24 करोड़ रुपए ह। यह जांच दीहीसर और वर्ली में स्थित जंबो कोविड केंद्र में कथित अनियमिताओं से जुड़ी है। धन शोधन का मामला मुंबई पुलिस की प्राथमिकी से निकला है। ईडी ने पाटकर और दीहीसर जंबो कोविड केंद्र में बीएमसी के पूर्व डीन डॉ. किशोर बिस्रों को जुलाई में गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में अभी एक जेल में बंद हैं।

संक्रमित लोगों को हल्की सूखी खांसी, बुखार के साथ या बिना बुखार के गले में खराश के लक्षणों के साथ ऊपरी श्वसन पथ में हल्का संक्रमण था। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि नवंबर में, जेएन.1 वेरिएंट का पता लगाने के लिए पूरे जीनोम अनुक्रमण के लिए 62 नमूने विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे, जबकि दिसंबर में अब तक 253 नमूने भेजे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कहा, हालांकि मामलों की संख्या बढ़ रही है और देश में जेएन-1 उप-संस्करण का पता चला है, लेकिन तत्काल चिंता का कोई कारण नहीं है क्योंकि 92 प्रतिशत संक्रमित लोग घर-आधारित उपचार का विकल्प चुन रहे हैं, जो हल्की बीमारी का संकेत है। देश की कोविड-19 टैली अब 4.50 करोड़ (4,50,07,212) है।

ननीजों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पार्टी की राष्ट्रीयापी योजनाओं की संतुष्टि सुनिश्चित करना है। वैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है उनमें ये भी शामिल हैं। इससे पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने डिप्टी राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के साथ प्रधान मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद कुछ कंद्रीय मंत्रियों ने राष्ट्रीय राजधानी में नए राज्य नेतृत्व की पहली आधिकारिक यात्रा के हिस्से के रूप में मुलाकात की। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों ने लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आधिकारिक आवास पर मोदी से मुलाकात की और उन्हें 'राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। हाल ही में हुए

अस्पताल में
उन्होंने कहा पीएम ने..

चिंताओं के उपर्योग का है। कुमार ने अपने हाथ साझा का पालन सैनिटाइज़र तने पर फेस नूप्रियों ने कहा आईडी-19 लोकसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को बढ़ावा देते हुए भाजपा ने पांच में से तीन राज्यों में जीत हासिल की। उम्मीद है कि अभियान कार्यक्रम बनाते समय पार्टी दक्षिणी राज्यों पर विशेष ध्यान देगी। सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने इंडिया गढ़बंधन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के प्रयासों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। विकिसित भारत संकल्प अभियान' केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अपनी कई कल्याणकारी योजनाओं, हाल के पांच विधानसभा चुनावों के संबंधित करेंगे। सूत्रों ने कहा कि बैठक में, विभिन्न 'मोर्चा' (विग्रस) और राज्य इकाइयों ने अपने चल रहे संगठनात्मक अध्यासों का विवरण साझा किया और चुनावों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नेताओं द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। लोकसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को बढ़ावा देते हुए भाजपा ने पांच में से तीन राज्यों में जीत हासिल की। उम्मीद है कि अभियान कार्यक्रम बनाते समय पार्टी दक्षिणी राज्यों पर विशेष ध्यान देगी। सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने इंडिया गढ़बंधन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के प्रयासों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। विकिसित भारत संकल्प अभियान' केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अपनी कई कल्याणकारी योजनाओं, हाल के पांच विधानसभा चुनावों के बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह लेने के लिए यादव को चुना और दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए।

दिल्ली-एनसीआर...

अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सर्दियों के मौसम के लिए सामान्य सीमा के भीतर है। विभाग ने दिन भर हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। जीआरएपी के तहत कार्रवाई को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रथम चरण- खराब (एक्यूआई 201-300), द्वितीय चरण- बहुत खराब (एक्यूआई 301-400), तृतीय चरण- गंभीर (एक्यूआई 401-450) और चतुर्थ चरण- अति गंभीर (एक्यूआई 450 से अधिक) शामिल हैं।

